राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(5)ग्रावि/नरेगा/इनु./08 जयपुर, दिनांकः–

20 MAY 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
हनुमानगढ़।

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजनान्तर्गत पांच किलोमीटर से अधिक दूरी पर रोजगार उपलब्ध कराने पर अतिरिक्त मजदूरी के सबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अधिशाषी अभियंता, नरेगा द्वारा उक्त सदंर्भ में दूरभाष पर चाहे गये मार्गदर्शन के सबंध में लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की अनुसूची दो के पैरा 14 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि श्रमिकों को पांच किलोमीटर की त्रिज्या के बाहर रोजगार उपलब्ध कराने की स्थिति में श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापन खर्चो को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रुप मे, मजदूरी दर के 10 प्रतिशत का संदाय किया जायेगा।

इस सबंर्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम में वर्णित उक्त पैरा के अनुसार पांच किलोमीटर की त्रिज्या से बाहर रोजगार उपलब्ध काराये जाने की स्थिति में श्रमिकों द्वारा संपादित टास्क के आधार पर जो मजदूरी दर आती है उसका 10 प्रतिशत राशि का अतिरिक्त भुगतान किया जावें एवं यह राशि अकुशल श्रमिक भुगतान मद में शामिल की जावें तथा इसका स्पष्टतः उल्लेख मस्टररोल में पृथक से किया जावे।

इस सबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि श्रमिकों को पांच किलोमीटर त्रिज्या से बाहर रोजगार उपलब्ध कराये जाने का कारण भी उल्लेखित किया जावे।

भवदीय,

(राजेन्द्र भाणावत)
शासन सचिव(ग्रावि) एवं आयुक्त ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस समस्त (हनुमानगढ़ को छोड़कर)राजस्थान।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
3. कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उप सचिव(ग्रारो)

D:\VIPIN CHOUDHARY\2009-10\Mukesh Vijay\Hindi\Letter.doc